न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीठासीन अधिकारीः– ओमप्रकाश सिंघल   निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

सरकार बनाम औमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रामनगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :–125/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

–: आदेश :–

भू.अ. निरीक्षक बडागांव एंव पटवारी पटवार हल्का नाटास द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 34 किस्म, गै0मु0 नदी में से 1.00 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिकमी औमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा उक्त भूमि पर जोत लगाकर अतिकमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी /अतिकमी द्वारा दिनांक 26.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जो निम्न प्रकार से हैः– यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर के खसरा न0 34 में 1.00 है0 किस्म गै0मु0नदी राजकीय भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिकमण किया जाना बताया गया है। ग्राम रामनगर के उक्त खसरा नम्बर 34 के संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो कि बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्तकार है तथा जानबूझकर किसी प्रकार का अतिकमण नहीं कर रखा है। प्रार्थी के खेत की सीमाएं अस्पष्ट होने के कारण यदि कोई अतिकमण हुआ है तो प्रार्थी द्वारा उसे हटा लिया जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूध श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निरस्त फरमाया जावें।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 34 किस्म, गै0मु0 नदी में से 1.00 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिकमी औमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा किया गया अतिकमण अवैध अतिकमण होने के कारण प्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक बडागांव को इस अवैध अतिकमित भूमि पर से अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.50 का 50 गुणा 75/– रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक..................को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गुढागौड़जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Singhal
Date: 2022.11.04 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested